



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232037
CG-DL-E-21122021-232037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]
No. 656]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

F. No. CEA-PS-13-23(13)/2/2021-PSPM Division.—जबकि मेसर्स ओस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 138 अंसल चैम्बर्स-2, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 है, ने पारेषण योजना “चित्रदुर्गा (कर्नाटक) में ओस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राईवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट की पवन उर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन सिस्टम” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. सी.ई.ए-पी.एस-12-14 (20) /1/2018-पी.एस.पी.ए-2, डिवीजन /1/11909/2020 दिनांक 21.10.2020 तथा शुद्धि-पत्र संख्या सी.ई.ए-पी.एस-12-14 (20) 1/2018-पी.एस.पी.ए-2 डिवीजन-भाग (1) //13079/2021 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा पारेषण योजना “चित्रदुर्गा (कर्नाटक) में ओस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राईवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट की पवन उर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन सिस्टम ” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए ओस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राईवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स ओ. के. पी.पी.एल. ने 16.04.2021 (टाइम्स ऑफ इंडिया हब्सली प्रकाशन, राजस्थान पत्रिका बंगलुरु प्रकाशन, कन्नड़ प्रजावाणी देवनागरी प्रकाशन और कन्नड़ प्रभा शिवमोगा प्रकाशन) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 12.06.2021 से 18.06.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था।

इसके पश्चात, मेसर्स ओ. के. पी.पी.एल. ने 06.09.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मेसर्स ओस्ट्रो कन्नड पावर प्राईवेट लिमिटेड” ने अपने प्रस्तावित 300 मेगावाट की पवन उर्जा परियोजना के लिए के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं :

1. पूर्लिंग सब स्टेशन -1 (अनाबुरू गांव, जगलूर तालुक, जिला- दावनगेरे, कर्नाटक) से पी.एस.एस-2 (मथादा दयमाव्वनाहल्ली गांव, जगलूर तालुक, जिला-दावनगेरे, कर्नाटक) तक 220 के.वी. डी/सी टावर पर एस/सी लाईन।
2. पूर्लिंग सब स्टेशन पी.एस.एस-1 (अनाबुरू गांव, जगलूर तालुक, जिला- दावनगेरे, कर्नाटक) से पी.जी.सी.आई.एल. के मौजूदा 400/220 के.वी., हिरियूर सब स्टेशन तक 220 के.वी. डी/सी. टावरों पर एस./सी. लाईन।

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी -:

गांवों के नाम	तालुक	जिला
बिरेनाहल्ली, कटानाहल्ली, तवंडी, अलामरादाहल्ली, सुरगोंडानाहल्ली, मल्लारसनाहल्ली, हुलितोतलू, चिक्का इरन्नामल्लिगे, गुडलाल गोलाराहल्ली, अदिरालू, दसानामल्लिगे, गोलाराहल्ली, ब्रह्मापुरा, मल्लयानामल्लिगे, परमेनाहल्ली, कल्लाहल्ली, अयामंगला, मराडीदेवागेरे, सलागुंसे, बुराजीनारोप्पा, मरादीहल्ली, पल्लवनाहल्ली, नेरेनाहल्लु, कसावनाहल्ली, कल्लाहल्ली (काल्लेनाहल्ली), क्यादीगेरे, डोड्डा सिद्दावनाहल्ली, मरेनाहल्ली, हवालेनाहल्ली, बोगालेराहल्ली, तुरुवनुर, बासापनाहल्ली, कल्लेदेवारापुरा, कदमालकट्टे, मेसानायाकनाहल्ली, बेन्नेहल्ली, मुसतुरु, हम्पाय्यनामल्लिगे, होसामल्लिगे, बंगाराक्कनाहल्ली, हले दयमव्वनाहल्ली, बोगुलुरंगव्वनाहल्ली, बंगेनाहल्लु, डंडीना कुरुबाराहल्ली, लिंगारहल्ली, होसा दयमव्वनाहल्ली, कसोरहल्ली, बेलागट्टा, ह्याकल्लु, कुनावेबु, दयमलिंगानाहल्ली, दोनेहल्ली, बडबदनाहल्ली, कानामाडुगु, मुगीनाचिक्केनाहल्ली, कन्नाकट्टे, सिद्दीहल्ली, मुदलमाचिकेरे, सिद्दाम्मनाहल्ली, हुच्चावनाहल्ली, बंगाराक्कनागुड्डा, कमागेटनाहल्ली, होन्नामराडी, जम्मापुरा, मद्दरासनाकट्टे, तोरानागट्टी, कट्टिगेहल्ली, निबगुर, बिदरकेरे, निल्लेकट्टे, मथादा दयमाव्वनाहल्ली, टोप्पुरामल्लिगे, निबगुर गोल्लाराहल्ली, बिदरकेरे गोल्लाराहल्ली, अनाबुरू, अलुरू, मडामुट्टेनाहल्ली, ब्याटेगरनाहल्ली, कोरासाराहल्ली, ब्रह्मासामुद्रा, बोम्माक्कनाहल्ली, अक्कानुरू, तोवाराघट्टी, अरसिनागुंडी, गौराम्मनाहल्ली, डिब्बादाहल्ली, करेनाहल्ली, शिवपुरा, ए.वी. कोट्टिगे, मयसंदरा, देवाराहल्ली, होरागंटेरामल्लिगे, तम्मयानाहल्ली, हिरे मल्लानाहोले, संगेनाहल्ली, रस्ते मकुंटे, संते मुद्रापुरा, तिम्मालापुर	जगलूर हिरियूर और चित्रदुर्गा	चित्रदुर्गा ओर दावनगेरे

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, “मेसर्स ओस्ट्रो कन्नड पावर प्राईवेट लिमिटेड” को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vi) "मेसर्स ओस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राईवेट लिमिटेड" को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[विज्ञापन-III/4/असा./520/2021-22]

वी.के. मिश्रा, सचिव

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2021

F. No. CEA-PS-13-23(13)/2/2021-PSPM Division.—whereas M/s Ostro Kannada Power Private Limited (OKPPL), the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, Delhi-110066, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Connectivity Transmission System for 300 MW wind power project of Ostro Kannada Power Private Limited in Chitradurga, Karnataka".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No.CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division/I/11909/2020 Dt:21-10-2020 and corrigendum approval vide letter No.CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division- Part (1)/I/13079/2021 dated 08.01.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Ostro Kannada Power Private Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme "Connectivity Transmission System for 300 MW wind power project of Ostro Kannada Power Private Limited in Chitradurga , Karnataka".

M/s OKPPL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 16.04.2021 (The Times of India, Hubballi Edition, Rajasthan Patrika, Bengaluru publication, Kannada: Prajavani, Davanageree publication and Kannada: Kannada Prabha, Shivamogga publication) and in Weekly Gazette of India dated 12.06.2021 to 18.06.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s OKPPL has submitted an affidavit dated 06.09.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity Transmission System for 300 MW wind power project of Ostro Kannada Power Private Limited in Chitradurga , Karnataka". The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

- 1) 220 kV S/C line strung on D/C towers from pooling substation PSS1 (Anaburu village, Jagalur Taluk, Davanagere District, Karnataka) to PSS2 (Mathadadyamavvanahalli village, Jagalur Taluk, Davanagere District, Karnataka).

- 2) 220 kV S/C line strung on D/C towers from pooling substation PSS1 (Anaburu village, Jagalur taluk, Davanagere District, Karnataka) to existing 400/220 kV Hiriyur substation of PGCIL.

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGES	TALUK	DISTRICT
Birenahalli, Katanahatti, Tavandi, Alamaradahatti, Suragondanahalli, Mallarasanahatti, Hulitotlu, Chikka irannamalige, Guilal gollarahatti, Adiralu, Dasanamalige, Gollarahatti, Bharamapura, Mallayanamalige, Paramenahatti, Kallahatti, Aymangala, Maradidevagere, Salagunse, Burajinaroppa, Maradihalli, Palavanahalli, Nerenahalu, Kasavanahalli, Kallahalli (Kallenahalli), Kyadigere, Dodda Siddavanahalli, Marenahalli, Havalenahalli, Bogalerahatti, Turuvanur, Basappanahatti, Kalledevapur, Kadamalkatte, Mesanayakanahatti, Bennehalli, Musturu, Hampayyanamalige, Hosamalige, Bangarakkanahalli, Hale Dyamavvanahalli, Bogguluravvanahalli, Bagenahalu, Dandina kurubarahatti, Lingarahatti, Hosa Dyamavvanahalli, Kasorahatti, Belagatta, Hayakallu, Kunabevu, Dyamalinganahalli, Donehalli, Badabadanahalli, Kanamadugu, Muginachikkenahalli, Kananakatte, Siddihalli, Mudalamachikere, Siddammanahalli, Huchchavanahalli, Bangarakkanagudda, Kamagetanahalli, Honnamaradi, Jammapura, Maddarasanakatte, Toranagatti, Kattigehalli, Nibgur, Bidarkere, Nellikatte, Mathada Dyamavvanahalli, Toppuramalige, Nibgur Gollarahatti, Bidarkere Gollarahatti, Anaburu, Aluru, Madamuttenahalli, Byategaranahalli, Korasarahatti, Bharmasamudra, Bommakkanahalli, Akkanuru, Tovaraghatti, Arasinagundi, Gaurammanahalli, Dibbadahatti, Karenhatti, Shivpura, A V Kottige, Mayasandra, Devarahatti, Horaganteramalige, Tammayyanahatti, Hire Mallanahole, Sangenahalli, Raste Makunte, Sante Muddapura, Timmalapur	Jagalur, Hiriyur and Chitradurga	Chitradurga and Davanagere

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Ostro Kannada Power Private Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- The approval is granted for 25 years;
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

- (vi) M/s Ostro Kannada Power Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[ADVT.-III/4/Exty./520/2021-22]

V.K. MISHRA, Secy.